न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 83/अपील/2021 (GCMS No. 2021/145)	27.12.2021	27.11.2024

मसरू बाई पत्नी उदालाल, जाति कुम्हार,
निवासी झरबालापुरा, तहसील व जिला बून्दी।

– अपीलान्ट

बनाम

1. कल्याण आ. कालू जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील बून्दी (मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–

1/1 सत्यनारायण आ. कल्याण कुम्हार निवासी झरबालापुरा तह. बून्दी
1/2 प्रेमशंकर आ. कल्याण कुम्हार निवासी झरबालापुरा तह. बून्दी
1/3 कान्हा आ. कल्याण कुम्हार निवासी झरबालापुरा तह. बून्दी
1/4 कैलाश बाई पत्नी रामनारायण पुत्री कल्याण कुम्हार निवासी नयापुरा बस स्टेण्ड के पास, कोटा
1/5 मनभर बाई पत्नी छीतर पुत्री कल्याण कुम्हार निवासी ग्राम सुसाडिया, तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
1/6 पाची बाई पत्नी भंवरलाल कुम्हार निवासी झरबालापुरा, तह. बून्दी
1/7 भवना पुत्र भंवरलाल कुम्हार निवासी झरबालापुरा, तह. बून्दी
1/8 राकेश पुत्र भंवरलाल कुम्हार निवासी झरबालापुरा, तह. बून्दी

2. गोपी आ. कालू कौम कुम्हार निवासी झरबालापुरा तहसील बून्दी
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)
4. प्रेम बाई पत्नी सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी झरबालापुरा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड़, एडवोकेट।
रेस्पो. सं.1/1 लगायत 1/8 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो. सं. 2 की ओर से श्री राजकुमार दाधीच, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1951 दिनांक 08.12.2021 ग्राम झरबालापुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 2021/51 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 की पालना में एवं उपखण्ड अधिकारी बून्दी की डिक्री इजराय मुकदमा नं. 39/दावा/2019 निर्णय दिनांक 26.2.2021 की पालना में दर्ज किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 83/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/145 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। दौराने अपील रेस्पो.सं.1 कल्याण के फोत हो जाने पर उसके वारिसान रेस्पो.सं.1/1 लगायत 1/8 को दिनांक 23.09.2024 को कायम मुकाम बनाया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि ख.सं. 604 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, 606 रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा, 694 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, 605 रकबा 10 बिस्वा, 651 रकबा 05 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम झरबालापुरा, तहसील बून्दी में स्थित है। रेस्पो.सं.1 के द्वारा अपीलांट व रेस्पो.सं. 2, 3 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बून्दी में दायर बंटवारा कृषि भूमि का वाद दिनांक 15.07.2015 को प्राथमिक डिक्री हो गया था। तत्पश्चात उक्त वाद को लोक अदालत केम्प कोर्ट नयागांव में दिनांक 15.05.2018 को पक्षकारों के मध्य बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय कर अंतिम डिक्री पारित कर दी गई थी। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा दायर एक अपील संख्या 18/357 बउनवान मसरूबाई बनाम कल्याण वगैरा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 01.04.2019 से स्वीकार कर उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2018 निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा तहसीलदार बून्दी से पुनः बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बून्दी द्वारा दिनांक 09.07.2019 को बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा उक्त बंटवारा रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने से रिपोर्ट में उसके हस्ताक्षर नहीं होने बाबत आपत्ति दर्ज करवा दी गई थी। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा उक्त रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम बंटवारा डिक्री पारित किये जाने के आदेश दिनांक 26.02.21 को प्रदान किये गये। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के समक्ष दायर अपील संख्या 51/2021 दायर की गई, जो निर्णय दिनांक 30.11.21 से निर्णीत करते हुये उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय को विधिसम्मत मानते हुए यथावत रखा गया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील संख्या 5998/2021 माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में दिनांक 06.12.21 को प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसके संबंध में हल्का पटवारी, कानूनगों एवं तहसीलदार बून्दी को अवगत करवाया दिया था तथा उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड में कोई फेरबदल नहीं करने बाबत आश्वासन दिया गया था। राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 09.12.21 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर पत्रावली को दिनांक 13.12.21 को नियत की गई। दिनांक 11.12.21 को अपीलांट द्वारा खाते की नकल प्राप्त करने पर पाया कि नामान्तरकरण संख्या 1951 दिनांक 06.12.2021 को स्वीकृत कर खाते व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करते हुए अलग अलग खाते दर्ज कर दिये गये है। तहसीलदार बून्दी द्वारा विधिक प्रकिया अपनाए बिना, मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना की गई उक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है। अपीलांट व रेस्पो. के मध्य बंटवारे का विवाद है जिसका निर्धारण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 5998/2021 में किया जाना है। इससे पूर्व ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत प्रभावी स्थगन आदेश के दौरान उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 2021/51 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 की पालना में एवं उपखण्ड अधिकारी बून्दी की डिक्री इजराय मुकदमा नं. 39/दावा/2019 निर्णय दिनांक 26.02.2021 की पालना में दर्ज किया गया है जो विधिक प्रावधानों के तहत खोला जाने से विधिसम्मत है। अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 08.12.21 को स्वीकार किया गया, उस समय राजस्व मण्डल अजमेर का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। इसके बावजूद अपीलांट द्वारा इस न्यायालय को गुमराह करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश प्रभावी होने बाबत झूठे तथ्ये पेश किये गये है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय निर्णय की पालना में दर्ज किये जाने से विधिसम्मत होने से बहाल रखे जाने एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि आराजी खसरा संख्या 604, 605, 606, 651, 694 वाके ग्राम देवपुरा के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 2021/51 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2021 की पालना में एवं उपखण्ड अधिकारी बून्दी की डिक्री इजराय मुकदमा नं. 39/दावा/2019 निर्णय दिनांक 26.02.2021 की पालना में न्यायालय आदेशों का नामान्तरकरण संख्या 1951 दिनांक 06.12.2021 दर्ज किया गया। जिसके संबंध में अपीलांट को आपत्ति है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या डिक्री/5998/2021/बून्दी बउनवान मसरू बाई बनाम कल्याण वगै. की आदेशिका की छायाप्रति के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा पेश की गई उक्त अपील दिनांक 06.12.2021 को दायर हुई थी तथा दिनांक 15.12.2021 को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखे जाने हेतु आदेश प्रदान किये गये है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1951 का अवलोकन किये जाने से प्रकट है कि उक्त नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.12.2021 को भरा गया, भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.12.2021 को रिपोर्ट की गई तथा तहसीलदार बून्दी द्वारा दिनांक 08.12.2021 को स्वीकार किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.12.2021 से पूर्व ही अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 08.12.201 को स्वीकार किया जा चुका था। ऐसे में स्थगन आदेश के प्रभावी होने के दौरान नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का अपीलांट का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण का प्रश्न है तो यह न्यायालय आदेशों में पालना में दर्ज किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन बलहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी